कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

क्रमांकः– 1231 दिनांकः– 04/08/2025

विज्ञप्ति संख्या 01/2025

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244–63 जयपुर,दिनांक 12.01.2023 तथा संशोधित दिशा–निर्देश आदेश प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/57871–58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसरण में जिले की निम्नांकित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन ग्राम पंचायतो/वार्डो में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

परियोजनावार रिक्त पदों की सूचना :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यकर्ता	सहायिका	कुल पद	ई–मेल आईडी
1	बांदीकुई	5	2	7	ICDS.BANDIKUII@RAJASTHAN.GOV.IN
2	बसवा	2	6	8	ICDS.BANDIKUIII@RAJASTHAN.GOV.IN
3	दौसा	6	6	12	ICDS.DAUSA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	लालसोट	6	5	11	ICDS.LALSOT@RAJASTHAN.GOV.IN
5	लवाण	0	1	1	ICDS.LAWAN@RAJASTHAN.GOV.IN
6	महवा	6	7	13	ICDS.MAHUWA@RAJASTHAN.GOV.IN
7	सिकन्दरा	1	1	2	ICDS.SIKANDARA@RAJASTHAN.GOV.IN
8	बैजुपाडा	1	0	1	ICDS.BAIJUPADA@RAJASTHAN.GOV.IN
9	सिकराय	1	1	2	ICDS.SIKRAI@RAJASTHAN.GOV.IN
10	रामगढ पचवारा	14	16	30	ICDS.RAMGARHPACHWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
11	नांगल राजावतान	0	0	0	ICDS.NANGALRAJAWATAN@RAJASTHAN.GOV.IN
योग		**42**	**45**	**87**	

नोटः–रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी/शर्तें उप निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 सितम्बर 2025 सांय 5.00 बजे तक है।

(तेजप्रकाश अग्निहोत्री)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

क्रमांकः– 1232-41 दिनांकः– 04/08/2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,दौसा।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,दौसा।
4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं,राजस्थान,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. विकास अधिकारी समस्त जिला दौसा।
6. श्रीमान आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका,दौसा/लालसोट/बांदीकुई/लवाण/मण्डावर/रामगढ पचवारा /भाण्डारेज/बसवा/सिकराय/मण्डावरी।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला दौसा को भेजकर लेख है उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी संबंधित पंचायत समितियों और नगरपरिषद/नगरपालिका मुख्यालयों एवं रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
8. सम्पादक दैनिक भास्कर/पत्रिका दौसा को डी.आई.पी.आर दरों पर दौसा जिले के स्थानीय संस्करण में प्रकाशनार्थ।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड/लेखा शाखा/बिल शाखा/संस्थापन/रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

कार्यालय उप निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,दौसा जिला–दौसा (राज.)

परियोजनावार रिक्त पदों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	परियोजना	ग्राम पंचायत/नगरपरिषद,नगरपालिका का नाम	आं0बा0 केन्द्र का नाम	रिक्त पद कार्यकर्ता/सहायिका	आरक्षित वर्ग
1	बांदीकुई	आभानेरी	तुरवाडा	कार्यकर्ता	एस.सी.
2			आभानेरी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
3		नंदेरा	नंदेरा–3	कार्यकर्ता	अनारक्षित
4		पिचुपाडा कलां	नारायणपुरा	सहायिका	एस.सी
5		श्यालावास कलां	बाढ बगीची–1	कार्यकर्ता	एस.सी.
6		नगरपालिका बांदीकुई	वार्ड नं0–20	कार्यकर्ता	अनारक्षित
7		भांवता	भांवता–1	सहायिका	अनारक्षित
8	दौसा	नगरपालिका भाण्डारेज	भाण्डारेज–8 (भण्डाना दरवाजा)	कार्यकर्ता	अनारक्षित
9			भाण्डारेज–2 (बडा बास)	कार्यकर्ता	एस.सी.
10		महेश्वराकलां	महेश्वराकलां–2	सहायिका	अनारक्षित
11		खुरी कलां	खुरी खुर्द	कार्यकर्ता	अनारक्षित
12		रामपुरा	उदावाला	सहायिका	अनारक्षित
13		नगरपरिषद दौसा	वार्ड नं.–26 प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
14		कालाखों (धरती आबा)	चैना का बास	कार्यकर्ता	एस.टी.
15			चैना का बास	सहायिका	एस.टी.
16		रामपुरा (धरती आबा)	बासडी कलां	कार्यकर्ता	एस.टी.
17			बासडी कलां	सहायिका	एस.टी
18			बासडी खुर्द	कार्यकर्ता	एस.टी.
19			बासडी खुर्द	सहायिका	एस.टी
20	बैजुपाडा	बडियाल कलां	बडियाल कलां–3	कार्यकर्ता	अनारक्षित
21	बसवा	मुही	मुही–2	सहायिका	अनारक्षित
22		चौबडीवाला	चौबडीवाला	सहायिका	अनारक्षित
23		गुढाकटला	गुढाकटला–1	सहायिका	अनारक्षित
24		नगरपालिका बसवा	कसाना की ढाणी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
25		नगरपालिका बसवा	बसवा–3	सहायिका	अनारक्षित
26		गुल्लाना	देवपाल की ढाणी	कार्यकर्ता	एस.टी
27		केसरीसिंहपुरा	हरनाथपुरा	सहायिका	अनारक्षित
28		पण्डितपुरा	पण्डितपुरा–3	सहायिका	अनारक्षित
29	सिकराय	मानुपर	मानपुर–3	कार्यकर्ता	अनारक्षित
30		गीजगढ	गीजगढ–6	सहायिका	अनारक्षित
31	लवाण	खानवास	खानवास	सहायिका	एस.टी.
32	सिकन्दरा	दुब्बी	दुब्बी–2	कार्यकर्ता	अनारक्षित
33		अचलपुरा	झरना	सहायिका	एस.सी.
34	महवा	टुडियाना	बेरखेडा–1	सहायिका	अनारक्षित
35		नगरपालिका महवा	महवा–4	कार्यकर्ता	अनारक्षित
36		ठेकडा	धनतुरी	कार्यकर्ता	अनारक्षित
37		सालीमपुर	सिन्दुकी	सहायिका	अनारक्षित
38		नगरपालिका महवा	महवा–8	सहायिका	अल्पसंख्यक
39		टीकरी किलानोत	गोपालगढ	कार्यकर्ता	एस.सी
40		पीपलखेडा	पीपलखेडा–1	सहायिका	अनारक्षित
41		पलानहेडा	पलानहेडा–2	कार्यकर्ता	एस.सी.
42		हडिया	हडिया–3	कार्यकर्ता	अनारक्षित
43		खेडला	खेडला–1	सहायिका	अनारक्षित
44		खेडला	खेडला–2	सहायिका	अनारक्षित
45		गगवाना (धरती आबा.)	मिर्जापुर	कार्यकर्ता	एस.टी.
46			मिर्जापुर	सहायिका	एस.टी.

DD
WCD DAUSA

47	लालसोट	बिलौना कलां	बिलौना कलां– 3	कार्यकर्ता	अनारक्षित
48		खेडला खुर्द	दिवाचली खुर्द	कार्यकर्ता	अनारक्षित
49		लालपुरा (धरती आबा.)	श्री सुखचैनपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
50			श्री सुखचैनपुरा	सहायिका	एस.टी
51		डिगो	डिगो– 1	सहायिका	अनारक्षित
52		रतनपुरा (धरती आबा.)	बाढ रतनपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
53			बाढ रतनपुरा	सहायिका	एस.टी

54	लालसोट	रतनपुरा	रायमलपुरा	सहायिका	एस.टी
55		मिर्जापुरा	लाडपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
56		दौलतपुरा	दौलतपुरा– 2	सहायिका	अनारक्षित
57		नगरपरिषद लालसोट	डिडवाना– 9	कार्यकर्ता	अनारक्षित
58	रामगढ पचवारा	रालावास	रालावास	सहायिका	एस.टी
59		कुशलपुरा	कुशलपुरा	सहायिका	अनारक्षित
60		रालावास (धरती आबा.)	रालावास–2 होली दरवाजा	कार्यकर्ता	एस.टी
61			रालावास–2 होली दरवाजा	सहायिका	एस.टी
62		न.पा. रामगढ पचवारा (धरती आबा.)	श्रीगणेशपुरा (वार्ड नं. 01)	कार्यकर्ता	एस.टी
63			श्रीगणेशपुरा (वार्ड नं. 01)	सहायिका	एस.टी
64		न.पा. रामगढ पचवारा (धरती आबा.)	बाग वाली कोठी (वार्ड नं. 06)	कार्यकर्ता	एस.टी
65			बाग वाली कोठी (वार्ड नं. 06)	सहायिका	एस.टी
66		राहुवास (धरती आबा.)	राहुवास तिबारा	कार्यकर्ता	एस.टी
67			राहुवास तिबारा	सहायिका	एस.टी
68		गोपालपुरा (धरती आबा.)	सहसपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
69			सहसपुरा	सहायिका	एस.टी
70		अमराबाद (धरती आबा.)	बाढ जीता	कार्यकर्ता	एस.टी
71			बाढ जीता	सहायिका	एस.टी
72		पालुंदा (धरती आबा.)	रामपुरा कलां मीनो	कार्यकर्ता	एस.टी
73			रामपुरा कलां मीनो	सहायिका	एस.टी
74		हेमल्यावाला (धरती आबा.)	मनवा का बास चक नं. 01	कार्यकर्ता	एस.टी
75			मनवा का बास चक नं. 01	सहायिका	एस.टी
76		बीच्छा (धरती आबा.)	बाढ फतेहपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
77			बाढ फतेहपुरा	सहायिका	एस.टी
78		गांगल्यावास (धरती आबा.)	काल्यावास	कार्यकर्ता	एस.टी
79			काल्यावास	सहायिका	एस.टी
80		बिदरखां (धरती आबा.)	बासडा बिदरखां	कार्यकर्ता	एस.टी
81			बासडा बिदरखां	सहायिका	एस.टी
82		गांगल्यावास (धरती आबा.)	चक सवाईमाधोपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
83			चक सवाईमाधोपुरा	सहायिका	एस.टी
84		कुशलपुरा (धरती आबा.)	भोबतपुरा	कार्यकर्ता	एस.टी
85			भोबतपुरा	सहायिका	एस.टी
86		डोब (धरती आबा.)	रामसर	कार्यकर्ता	एस.टी
87			रामसर	सहायिका	एस.टी

नोटः– शहरी क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत वार्ड के अनुसार रिक्त पद अंकित किये हुये है। परिसीमन उपरान्त नवीन वार्ड संख्या भिन्न हो सकती है। जिसकी जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

D D
WCD DAUSA

चयन हेतु वांछित पात्रता:–

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जायेगा। आंगनबाडी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थायी निवासी नही रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ–पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नही रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
2. स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण–पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जावें।
3. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
4. शहरी क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र के लिए आंगनबाडी केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नही किये जाने की दशा में ही निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
5. **आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।**
6. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा ,परित्यकता, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक की होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
7. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र व पुनर्विवाह नही किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
8. परित्यकता एवं तलाकशुदा की स्थिति के सक्षम स्तर न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि से जारी आदेश/डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावें।
9. **यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नही होगा।**
10. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रिमी लेयर में नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा । एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन क्रीमी लेयर संबंधी सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।) अर्थात् आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे। इसके सबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होगें।
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को Income and Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। EWS के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का EWS का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ–पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे एवं इसके सबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगें।
13. रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओं कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट http://wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
14. आवेदन फार्म ऑफलाइन संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में दो प्रतियों में अंतिम **तिथी 03 सितम्बर 2025 सांय 5.00 बजे तक** व्यक्तिशः जमा कराये जायेंगे एवं आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेवे।
15. **आवेदन पत्र के साथ (1) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/दिव्यांग (5) आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (6) आर.एस.सी.आई.टी/पी.जी.डी.सी.ए इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।**
16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करवाये जाने के पश्चात् त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी–पूर्ति हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अन्तिम तिथी के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नही किया जावेगा।
17. जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर मानदेयकर्मियों के रिक्त पदों पर माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट केस निस्तारित हो चुके है उन पदों पर चयन कार्य माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(तेजप्रकाश अग्निहोत्री)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा